भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2277

सोमवार, 2 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम

2277. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में कितने बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अधिकतर बाल श्रमिक लड़कियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी लिंग-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): 2011 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु समूह के कामगारों की संख्या 43,53,247 है।

(ख) और (ग): 2011 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु समूह के कुल 43,53,247 कामगारों में से बालिकाओं की संख्या 16,89,200 है जबकि बाल कामगारों की संख्या 26,64,047 है।

बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन और निरक्षरता जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु, भारत सरकार देश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को संशोधित किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम करने या नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध उपबंधित है। इस संशोधित अधिनियम में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोक्ताओं के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा इस अधिनियम में अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

*****